शासनादेश संख्या- 21 /2020/बी-2- 82 /दस-2020-2/2019

प्रेषक,

आलोक दीक्षित,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 30 मार्च, 2020

विषयः- चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2019-20 में आडिट अनुशासन की **5 प्रतिशत** धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/2020/बी-2-78/दस-2020-2/2019 दिनांक 27 मार्च, 2020 व शासनादेश संख्या-19/2020/बी-2-77/दस-2020-2/2019 दिनांक 27 मार्च, 2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त् शासनादेशों के प्रस्तर-1 में क्रमशः यह उल्लिखित है कि वर्ष 2016-17 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों तथा वर्ष 2016-17 तक का आडिट कराने वाली ग्राम पंचायतों को आडिट अनुशासन की धनराशि क्रमशः रूपये 2900.00 लाख व 14500.00 लाख स्वीकृत की जाती है।

3- प्रशासकीय विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया है कि निदेशालय के पत्र दिनांक 05/03/2020 में आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों का वित्तीय वर्ष त्रुटिवश वर्ष 2017-18 के स्थान पर वर्ष 2016-17 अंकित हो गया है अतः प्रशासकीय विभाग द्वारा आडिट अनुशासन का वर्ष 2016-17 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2017-18 संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

4- प्रशासकीय विभाग के पस्ताव के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/2020/बी-2-78/दस-2020-2/2019 दिनांक 27 मार्च, 2020 व शासनादेश संख्या-19/2020/बी-2-77/दस-2020-2/2019 दिनांक 27 मार्च, 2020 में क्रमशः वर्ष 2016-17 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतों के स्थान पर "वर्ष 2017-18 तक का आडिट कराने वाली क्षेत्र पंचायतो" तथा वर्ष 2016-17 तक का आडिट कराने वाली ग्राम पंचायतों के स्थान पर "वर्ष 2017-18 तक आडिट कराने वाली ग्राम पंचायतों" पढा जाय ।

5- उपर्युक्त शासनादेश संख्या-18/2020/बी-2-78/दस-2020-2/2019 दिनांक 27 मार्च, 2020 व शासनादेश संख्या-19/2020/बी-2-77/दस-2020-2/2019 दिनांक 27 मार्च, 2020 उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायें। शासनादेशों की शेष शर्ते यथावत रहेगी

भवदीय,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-21/2020/बी-2-82(1)/दस-2020-2/2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- वित्त संसाधन (वित्त आयोग) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- पंचायती राज अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
5- समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
8- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
9- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।